प्रेसनोट

पिथौरागढ़–13.09.13(सूवि),

विद्युत विभाग, दूरसंचार निगम के साथ जल संस्थान संयुक्त निरीक्षण कर सड़क के पास स्थापित किये गये विद्युत पोलों, ट्रांसफार्मरों, टेलीफोन के पोलों एवं पेयजल लाईनों को हटाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश आज जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने दूरसंचार विभाग को अपने टेलीफोन पोलों के साथ जनपद मुख्यालय में सड़क के किनारे स्थापित टेलीफोन पीलरों को को भी मासांत तक शिफ्ट करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने जनपद मुख्यालय में 15 अक्टूबर से आरम्भ होने वाले हाटमिक्स हेतु सभी जरूरी अहतियात बरतने के साथ सभी बाधाओं को दूर करने और सरकारी विद्युत पोलों, टेलीफोन के खंभों सहित टेलीफोन के पीलरों और पेयजल लाईन को मासांत तक शिफ्ट करने के सख्त निर्देश अधिशासी अभियंता विद्युत, दूरसंचार विभाग के एसडीओ तथा अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिये। उन्होंने इस हेतु उप जिलाधिकारी सदर नरेश दुर्गापाल को संबंधित विभागों की बैठक करने और संयुक्त निरीक्षण कर शिफ्ट की जाने वाली सामग्री को चिन्हित कर मासांत तक शिफ्ट करवाने के निर्देश दिये।

अधिशासी अभियंता विद्युत राजेश मौर्या ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की निविदाएं जारी कर दी गई हैं साथ ही शिफ्ट करने हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है और मासांत तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अधिशासी अभियंता जल संस्थान डी.के.मिश्रा ने अवगत कराया कि हाटमिक्स से पहले ही पेयजल लाइनों को शिफ्ट कर लिया जायेगा साथ ही हाटमिक्स से पहले पेचिंग वर्क के समय मजदूरों के साथ स्टाफ भी साथ में रहेगा।

अधिशासी अभियंता लोनिवि बदलू राम ने अवगत कराया कि पहले शहर की आउटर सड़कों पर हाटमिक्स किया जायेगा और नैनीसैनी से प्रारम्भ कर मूनाकोट, ऐंचोली, चंडाक आदि स्थानों पर हाटमिक्स करने के बाद शहर में हाटमिक्स किया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्यालय की सड़कों पर हाटमिक्स होने तक सभी गढ़ढ़ों में पेंचवर्क, सोलिंग के साथ अन्य सभी कार्य 15 अक्टूबर से पूर्व पूरे करने और हाटमिक्स में पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने मा.न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी करने और 15 अक्टूबर से पूर्व सभी तैयारियां अपनी निगरानी में पूर्ण रखने के निर्देश उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल को दिये। उन्होंने ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि हाटमिक्स के कार्य में किसी भी तरह की ढ़ीलाई, अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जायेगा और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बीएल राणा, उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल, अधिशासी अभियंता लोनिवि बदलू राम, अधिशासी अभियंता जलसंस्थान डी.के.मिश्रा, अधिशासी अभियंता विद्युत राकेश मौर्या, अधिशासी अधिकारी खीमानंद जोशी के साथ टेलीफोन, ग्रेफ आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–13.09.13(सूवि),

नोटिफाइड सेवाएं पंजिका में दर्ज करने के साथ आवेदनकर्ता को रसीद की एक प्रति उपलब्ध करायें और एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। उक्त निर्देश आज अपर जिलाधिकारी बीएल राणा ने जिला कार्यालय सभागार में 'सेवा के अधिकार' संबंधी बैठक में बोलते हुए संबंधित विभागों को दिये। उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों हेतु अपने सुझाव भी उन्हें उपलब्ध करायें, जिससे सुझावों को शासन को अग्रसारित किया जा सके।

अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता को दिये जाने वाली सभी सुविधाएं, प्रमाण–पत्र निर्धारित समय के अन्तर्गत उपलब्ध करायें और प्राप्ति और उपलब्ध कराये गये प्रमाण–पत्र प्रत्येक दशा में पंजिका में अंकित करें। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि सभी प्रमाण–पत्र निर्धारित समय पर आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराये जा रहे हैं और अभी तक जननी सुरक्षा के अन्तर्गत 755 केसों में से सभी को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

अधिशासी अभियंता जल संस्थान डीके मिश्रा ने अवगत कराया कि उनके विभाग में सेवा के अधिकार के अंतर्गत 2 सेवाएं नागरिकों को दी जानी है और अभी तक 542 आवेदनों के सापेक्ष सभी आवेदनकर्ताओं को सेवायें उपलब्ध करा दी गई हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गोविन्द राम ने बताया कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत उनके अधीन चार सेवायें हैं और सभी आवेदक को मांग आधारित सुविधा प्रदान की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत 7 सेवायें नागरिकों को दी जानी है अभी तक उपलब्ध करायी गयी सभी सेवाओं को पंजिका में दर्ज किया गया है।

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उनके विभाग द्वारा सेवा के अधिकार के अंतर्गत 4 सेवाएं दी जानी है जिन्हें नियमित रूप से जारी किया जा रहा है, लेकिन निदेशालय से प्राप्त शासनादेश के आधार पर वितरित की जाने वाली पेंशन आदि में एकरूपता न होने से परेशानी उत्पन्न हो रही है, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने अपने सुझाव और शासनादेश प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, सभी खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डीडीहाट, धारचूला व गंगोलीहाट को सेवा के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों को पंजिका में दर्ज कर आवेदक को रसीद भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के.के.वार्ष्णेय, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खीमा नंद जोशी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान डीके मिश्रा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।